

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	फाल्गुन 7, बुधवार, शाके 1935—फरवरी 26, 2014 <i>Phalgun 7, Wednesday, Saka 1935—February 26, 2014</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 26, 2014

संख्या प. 2 (5) विधि/2/2014:—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 25 फरवरी, 2014 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 2)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 25 फरवरी, 2014 को प्राप्त हुई]

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह 21 सितम्बर, 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 22 की धारा 2 का संशोधन.**- राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 22) की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) "परिवाद" से, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी नीति, कार्यक्रम या स्कीम के संबंध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिए, या ऐसा फायदा या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलम्ब के संबंध में, या किसी लोक प्राधिकारी के कृत्यकरण में विफलता से, या उसके द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति, आदेश, कार्यक्रम या स्कीम के अतिक्रमण से उदभूत किसी मामले के संबंध में, किसी नागरिक या नागरिकों के समूह द्वारा लोक सुनवाई अधिकारी को किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है किन्तु इसमें किसी लोक सेवक, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त, के सेवा मामलों से संबंधित, या किसी ऐसे मामले से संबंधित, जिसमें किसी न्यायालय या अधिकरण को अधिकारिता हो, या किसी न्यायिककल्प प्राधिकारी के समक्ष लम्बित किसी अपील से संबंधित, कोई शिकायत सम्मिलित नहीं है;"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं. 21) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, February 26, 2014**

No. F. 2 (5) Vidhi/2/2014.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Sunwai Ka Adhikar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014 (2014 Ka Adhiniyam Sankhyank 2):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN RIGHT TO HEARING (AMENDMENT)
ACT, 2014**

(Act No. 2 of 2014)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of February, 2014]

An

Act

to amend the Rajasthan Right to Hearing Act, 2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Right to Hearing (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 21st September, 2013.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 22 of 2012.- For the existing clause (a) of section 2 of the Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 (Act No. 22 of 2012), the following shall be substituted, namely:-

“(a) “complaint” means any application made by a citizen or a group of citizens to a Public Hearing Officer for seeking any benefit or relief relating to any policy, programme or scheme run in the State by the State Government or the Central Government, or in respect of failure or delay in providing such benefit or relief, or regarding any matter arising out of failure in the functioning or violation of any law, policy, order, programme or scheme in force in the State by, a public authority but does not include

grievance relating to the service matters of a public servant, whether serving or retired, or relating to any matter in which any Court or Tribunal has jurisdiction or relating to any appeal pending before a quasi-judicial authority;”.

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Right to Hearing (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 21 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.